



## प्रेस नोट:-चित्रकूट पुलिस



(1). आज दिनांक 28.01.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियो टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 28.01.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एंटी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेट रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 38 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

- (i). उ0नि0 श्री अंशुल कुमार थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र रामभरोषे निवासी एसडीएम कालोनी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- (ii). उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त बच्चा पुत्र परसदवा निवासी परसौजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी खोही परिक्रमा मार्ग श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. काशी प्रसाद पुत्र स्व0 अनसुइया 2. चंद्रकेश साहू पुत्र रामसिया निवासीगण खरइया थाना भरतकूप 3. कमलेश यादव पुत्र गिरधारी निवासी निंबुआ पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 2400/- रुपये व 52 ताश के पत्ते जामा तलाशी से 480/- रुपए, 02 मोटरसाइकिल बरामद किये गये । अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बरामदशुदा मोटरसाइकिलों को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया ।

**बरामदगी:-**

1. मालफड़ 2400/- रुपये व 52 ताश के पत्ते
2. जामातलाशी से 480/- रुपए
3. 02 मोटरसाइकिल बिना कागजात

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. चौकी प्रभारी खोही परिक्रमा मार्ग श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. आरक्षी रविन्द्र कुमार
3. आरक्षी अशीष सिंह
4. आरक्षी आशीष कुशवाहा
5. आरक्षी शिवम मिश्रा
6. आरक्षी राहुल वर्मा

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वारंटी/वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये विशेष अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 25 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया ।

(1). निरीक्षक श्री प्रभुनाथ यादव थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम वरि0उ0नि0 श्री रामवीर सिंह, उ0नि0 श्री रामेश्वर प्रसाद, आरक्षी विमलेश, महिला आरक्षी अंशु सैनी, महिला आरक्षी ज्योति चौहान द्वारा मु0नं0 3700/21 धारा 389 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त राजनारायण पुत्र स्व0 मोतीलाल निवासी डाँडी चुरेह केशरुवा थाना मानिकपुर, मु0नं0 1179/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त राममिलन सोनकर पुत्र संतलाल निवासी शिवनगर कस्बा मानिकपुर तथा मु0अ0सं0 06/19 धारा 307/504/506 भादवि व 12/14 डीए एक्ट सुनील पाठक पुत्र शिवशरण निवासी बाल्मिकीनगर(पश्चिमी) मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

(2). चौकी प्रभारी सरैया श्री यदुवीर सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी रोहित सिंह यादव व आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा अ0सं0 53/19 धारा 504,506 भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट के वारंटी अभियुक्त पिंशु उर्फ विक्रम सिंह पुत्र संजीत सिंह निवासी ग्राम गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

- (3). 30नि0 श्री बालकिशुन थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी राकेश कुमार, महिला आरक्षी सुचेता साहू द्वारा मु0नं0 234/15 धारा 323,506 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त इन्दा देवी पत्नी संतकुमार निवासी ग्राम दुगवां थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।
- (4). 30नि0 श्री सुरेश कुमार सचान थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी विवेक सिंह द्वारा मु0नं0 118/16 धारा 411,413,420,467,468,471 भादवि0 व 15 डीए एक्ट कोतवाली कर्वी के वारंटी अभियुक्त सुशील पटेल पुत्र बब्बू पटेल निवासी ग्राम घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।
- (5). 30नि0 श्री रमेश सिंह थाना रैपुरा तथा 30नि0 श्री संजय सिंह, आरक्षी नन्हे यादव, मुख्य आरक्षी आसाराम द्वारा मु0सं0 118/16 धारा 411,413,420,467,468,471,41 भादवि0 व 15 डीए एक्ट के वारण्टी अभियुक्त शिवपूजन यादव पुत्र बहादुर सिंह उर्फ शिव प्रसाद निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट तथा मु0सं0 95 /16 धारा 387,323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मुन्ना कुम्हार पुत्र राम अवतार निवासी ग्राम गेटा का पुरवा मजरा भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।
- (6). 30नि0 श्री इंदल सिंह थाना मारकुण्डी तथा उनके हमराही आरक्षी कमलेश कुमार द्वारा मु0सं0 26/21 धारा 323/504/506/452भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त कल्लू मिश्रा पुत्र जयराम मिश्रा निवासी बड़ी पाटिन थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।
- (7). 30नि0 श्री इंद्रजीत गौतम थाना मऊ तथा उनके हमराही आरक्षी रविन्द्र कुमार, आरक्षी विवेक कुमार, आरक्षी राहुल पांडेय द्वारा मु0नं0 211/19 धारा 379,147,504,506,511 भादवि के वारंटी अभियुक्त समयलाल पुत्र लक्ष्मण व. राम भवन पुत्र रामस्वरूप निवासीगण घुरेहटा मजरा परदवां थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।
- (8). चौकी प्रभारी खण्डेहा श्री विनय विक्रम सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी संदीप कुमार द्वारा मु0नं0 113/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के वारंटी अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ रिगु धतुरहा पुत्र श्याम बिहारी निवासी ग्राम नेवरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार या गया ।
- (8) 30नि0 श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही मुख्य आरक्षी कृष्णा पाल द्वारा मु0नं0 1003/19 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त शौकत अली पुत्र बब्बू निवासी देवल थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।
- (9). 30नि0 श्री परशुराम यादव थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही आरक्षी विनोद कुमार द्वारा मु0नं0 571/19 धारा 323,494,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त हरीओम पुत्र भइयालाल निवासी तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।
- (10). 30नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही आरक्षी विकेश मौर्य, आरक्षी नरेन्द्र सिंह, महिला आरक्षी रेखा भारती द्वारा मु0नं0 94/19 धारा 60 आबाकार अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त छोड्डन केवट पुत्र केशन केवट निवासी मकरी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।
- (16). 30नि0 श्री मुन्नीलाल थाना सरधुवा तथा उनके हमराही आरक्षी महेन्द्र कुमार द्वारा मु0नं0 65/19 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त भौदू उर्फ गौकरन पुत्र सुंदरलाल निवासी बडहर का पुरवा मजरा सुरवल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।
- (17). 30नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा तथा उनके हमराही आरक्षी ललित सोनी, आरक्षी बब्बू राजा द्वारा 10/06 धारा 147,148,149,307,364 भादवि0 व 10/12 डीए एक्ट के वारण्टी अभियुक्त जयनारायण शुक्ला पुत्र रामचन्द्र शुक्ला निवासी कुचौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।
- (18). प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश कुमार मौर्या तथा उनके हमराही 30नि0 श्री अनिल कुमार मिश्र, आरक्षी राहुला यादव, महिला आरक्षी समीक्षा यादव द्वारा मु0नं0 79/18 धारा 452,354 भादवि0 व 3(1) एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त गुलाब कुशवाहा पुत्र श्याम बिहारी निवासी जमीरा कलौनी तथा मु0नं0 26/19 धारा 395,397,412

भादवि० व डीए एक्ट के वारण्टी अभियुक्त मुन्ना सिंह उर्फ उदयरज सिंह पुत्र दलबहादुर सिंह निवासी ओवरी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(19). चौकी प्रभारी जिला चिकित्सालय श्री राहुल सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी बहोरन सिंह द्वारा मु०सं० 97/15 धारा 138बी विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त रईश पुत्र स्व० हनीफ निवासी भरतपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(20). उ०नि० श्री गौरव तिवारी थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही आरक्षी रोहित यादव द्वारा वारण्टी अभियुक्त सोनू शुक्ला पुत्र स्व० रामबहोरी शुक्ला निवासी ब्यूर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(21). उ०नि० श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही आरक्षी कुलदीप द्विवेदी द्वारा मु०नं० 127/16 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त मो० इरफान उर्फ रिजवान पुत्र रहमान खां निवासी द्वारिकापुरी तथा मु०नं० 408/18 धारा 279,337,338 भादवि० के वारण्टी अभियुक्त हरीशंकर रैकवार पुत्र सत्यनारायण निवासी मछली मण्डी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(22). चौकी प्रभारी खोही परिक्रमा मार्ग श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी आशीष कुमार द्वारा अ०सं० 1006/14 धारा 138बी विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त मइयादीन पुत्र स्व० भैयालाल निवासी चकभूपत रजौला थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(23). उ०नि० श्री शैलेन्द्र कुमार थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी मनोज कुमार, महिला आरक्षी नीतू नायक द्वारा मु०नं० 127/12 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम की वारण्टी अभियुक्त भुलनिया पत्नी पुरुषोत्तम केवट निवासी रायपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री इन्द्रजीत गौतम द्वारा अभियुक्त कमलेश केवट पुत्र शंभू केवट निवासी बंबुरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 3/25 आर्म्स एक्स पंजीकृत किया गया।

#### बरामदगी

01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर

#### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री इन्द्रजीत गौतम थाना मऊ
2. आरक्षी अनुज दुबे